

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

सी०सी०ए० वाद संख्या- 24 / 2024

[धारा-3(3)(ए)]

राज्य द्वारा पुलिस अधीक्षक

बनाम

परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम

अधिवक्ता राज्य- लोक अभियोजक, लातेहार

अधिवक्ता प्रतिपक्षी -

आदेश

अभिलेख प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 110/डी०सी०बी० दिनांक 26.03.2024 से कुख्यात अपराधकर्मी परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम, पे०-महेश तुरी, सा०-करमा, थाना-बारियातु जिला-लातेहार के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा- 3(3)(a) के तहत जिला बदर हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम को आरोप पत्र एवं ज्ञापांक 541/विधि, दिनांक-12.04.2024 से बचाव पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा कार्यालय पत्रांक 543/विधि, दिनांक-12.04.2024 से पुलिस अधीक्षक, लातेहार को सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए सक्षम पदाधिकारी को अधिकृत करने हेतु सूचित किया गया।

अपराधकर्मी परमेन्द्र तुरी को थाना के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी इनके द्वारा न्यायालय में स्वयं अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पक्ष नहीं रखा गया। ये न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप: वाद को एक पक्षीय करते हुए सुनवाई की गई।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा अधिकृत थाना प्रभारी, बारियातु एवं लोक अभियोजक, लातेहार उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, बारियातु एवं लोक अभियोजक, लातेहार द्वारा बताया गया कि परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम, पे०-महेश तुरी, सा०-करमा, थाना-बारियातु जिला-लातेहार का रहने वाला, जो राज्य एवं अन्तरराज्य स्तरीय कुख्यात पेशेवर अमन साव गिरोह का अत्यन्त सक्रिय सदस्य है,

(हस्ताक्षर)

जिनके अपराधिक गतिविधि के कारण बालूमाथ एवं बारियातु थाना क्षेत्र के लोगो में भय व्याप्त है। इनके अपराधिक क्रियाकलाप से विशेषकर व्यापारिक गतिविधि में संलग्न व्यक्तियों एवं विभिन्न निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों, उनके मुन्शियों, कोल कारोबारियों में भय व्याप्त है। ये व्यापारियों, निजी कम्पनियों के कर्मियों, सरकारी योजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारो, मुन्शियों, कोल कारोबारियों को जान मारने की धमकी देकर अक्सर रंगदारी की मांग करते है। रंगदारी नही देने पर इनके द्वारा सईडिंग पर फायरिंग करना, पोस्टरबाजी, डरा-धमकार लेवी वसूलने का काम किया जाता है। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण लोक-शांति एवं विधि-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटने की सम्भावना बनी रहती है। बालूमाथ एवं बारियातु क्षेत्र की जनता में इतना डर व्याप्त है कि इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति पुलिस के समक्ष शिकायत भी नही दर्ज कराते है। कुख्यात अपराधकर्मी अमन साहु के सम्पर्क में रहने के कारण ये बालूमाथ थाना कांड संख्या-115/2021, दिनांक-12.06.2021, धारा-399/402/386 /387/120/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत दिनांक-13.06.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत/जेल भी भेजा जा चुका है। इनके विरुद्ध धारा-399/402/386/387/120/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र संख्या-174/2021, दिनांक-10.08.2021 को न्यायालय में समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय थाना बारियातु में इनके विरुद्ध (1) सन्हा संख्या-26/2024, दिनांक-22.03.2024, (2) सन्हा संख्या-24/24, दिनांक-23.03.2024 एवं (3) सन्हा संख्या-25/2024, दिनांक-24.03.2024 दर्ज किया गया है। वर्तमान में जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। इनके अपराधिक गतिविधियों के कारण जिले के आम जनमानस में खौफ पैदा हो गया है तथा जिले में लोक शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो गयी है। जिले की लोक व्यवस्था एवं आम जनमानस के जन जीवन में लोक परिशांति एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण के लिए कुख्यात अपराधकर्मी परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम, पे0-महेश तुरी, सा0-करमा, थाना-बारियातु जिला-लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा- 3(3)(a) के तहत जिला बदर का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

लोक अभियोजक, लातेहार एवं थाना प्रभारी, बारियातु द्वारा सरकार की

ओर से रखे गए दलीलों को सुना एवं स्मरण में रखा। पुलिस अधीक्षक, लातेहार से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्ताव के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम का अपराधिक गिरोह अमन साव से संपर्क रहा है तथा इनके सदस्य के रूप में कार्य किया गया है। इनको बालूमाथ थाना कांड संख्या-115/2021, दिनांक-12.06.2021, धारा-399/402 /386/387/120 /34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं तथा आरोप पत्र संख्या-174/2021, दिनांक-10.08.2021 को न्यायालय में समर्पित किया गया है। इनको प्रतिबंधित नहीं करने से जिले में लोक शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 की धारा-3(3)(a), के तहत अपराधकर्मी परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम, पे0-महेश तुरी, सा0-करमा, थाना-बारियातु जिला-लातेहार को लातेहार जिला से जिलाबदर/तड़ीपार का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपराधकर्मी परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम, पे0-महेश तुरी, सा0-करमा, थाना-बारियातु जिला-लातेहार को झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 की धारा- 3(3)(a), के तहत प्रतिबंधित करते हुए (3) तीन माह के लिए लातेहार जिला से जिलाबदर/तड़ीपार किया जाता है।

आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक, लातेहार/थाना प्रभारी, बारियातु द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, लातेहार/थाना प्रभारी, बारियातु, परमेन्द्र तुरी उर्फ शिवम को भेजे। अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी
लातेहार।


उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी
लातेहार।